भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0– 135B/16–17

श्याम पद महतो बनाम सुरेन्द्र महतो

:: आदेश ::

13/6/17 अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी सरायकेला का पत्रांक 335 दिनांक 21.04.2017 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0–135B /16–17 से जॉच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। इस वाद में श्यामपद महतो, पिता–स्व0 रामशंकर महतो, ग्राम– बड़ाकांकड़ा, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च हेतु श्री सुरेन्द्र महतो, पिता– दुर्गाचरण महतो, ग्राम–कृष्णापुर, थाना– खरसावाँ, जिला–सरायकेला–खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर की धारा46(1) **B** के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किया है। केता के निवास के संबंध मे आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र दिया गया है।

:: भूमि का विवरण::

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
बड़ाकांकड़ा	258	123	295/A	6.25 डी0

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सरायकेला के न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। अंचल अधिकारी सरायकेला द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित करते हुए भूमि विक्री करने की अनुशंसा की गई है। जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से पता चलता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता के नाम पर खतियान मे दर्ज है। आवेदक के हिस्से मे लगभग 23.74 एकड़ जमीन है। जिसमें से 6.25 डी0 विक्री करने के पश्चात 23.67½ एकड़ भूमि बचती है। विक्रेता अपने दखल कब्जा भूमि को विक्री करना चाहते है। प्रतिवेदनानुसार विक्रेता सरायकेला थाना एवं केता खरसावाँ थाना के रहने वाले है। विक्रेता एवं क्रेता की जाति महतो (कुर्मी) है, जो पिछ्ड़ा वर्ग में आते है।

उपयुक्त तथ्यो एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक मे उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 6.25 डी0 भूमि विक्री करने की अनुमति दी जाती है।

13/6/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।